

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग

malik

क्रमांक : प.6(3)साप्र/5/94

जयपुर, दिनांक: 02-09-2016

आदेश

निम्नलिखित विश्राम भवनों में कुक के पद रिक्त होने के कारण आवश्यकतानुसार Cooking services जॉब बेसिस पर outsource (no contractual appoinment) करने की अवधि दिनांक 28.02.2017 तक बढ़ाये जाने की सहमति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। उक्त सेवाएँ लोक उपापन में पादर्शिता अधिनियम (RTPPA) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करते हुए ली जा सकेगी। यह स्वीकृति इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी समसंख्यक स्वीकृति दिनांक 22.02.2016 के क्रम में होगी :-

क्र. सं.	विश्राम भवन का नाम	कार्य का विवरण
1	अजमेर	कुकिंग कार्य हेतु
2	अलवर	कुकिंग कार्य हेतु
3	बाडमेर	कुकिंग कार्य हेतु
4	भरतपुर	कुकिंग कार्य हेतु
5	भीलवाडा	कुकिंग कार्य हेतु
6	बीकानेर	कुकिंग कार्य हेतु
7	बांसवाडा	कुकिंग कार्य हेतु
8	बूंदी	कुकिंग कार्य हेतु
9	बारा	कुकिंग कार्य हेतु
10	चूरु	कुकिंग कार्य हेतु
11	चित्तौडगढ	कुकिंग कार्य हेतु
12	धौलपुर	कुकिंग कार्य हेतु
13	दौसा	कुकिंग कार्य हेतु
14	डूंगरपुर	कुकिंग कार्य हेतु
15	हनुमानगढ	कुकिंग कार्य हेतु
16	जयपुर	कुकिंग कार्य हेतु
17	जालौर	कुकिंग कार्य हेतु
18	जैसलमेर	कुकिंग कार्य हेतु
19	झुन्झुनू	कुकिंग कार्य हेतु
20	झालावाड	कुकिंग कार्य हेतु
21	जोधपुर	कुकिंग कार्य हेतु
22	कोटा	कुकिंग कार्य हेतु
23	करौली	कुकिंग कार्य हेतु
24	माउण्ट आबू	कुकिंग कार्य हेतु
25	नागौर	कुकिंग कार्य हेतु
26	पाली	कुकिंग कार्य हेतु
27	प्रतापगढ	कुकिंग कार्य हेतु
28	राजसमन्द	कुकिंग कार्य हेतु
29	श्रीगंगानगर	कुकिंग कार्य हेतु
30	सवाईमाधोपुर	कुकिंग कार्य हेतु
31	सीकर	कुकिंग कार्य हेतु
32	सिरोही	कुकिंग कार्य हेतु
33	टोंक	कुकिंग कार्य हेतु
34	उदयपुर	कुकिंग कार्य हेतु
35	राजस्थान हाउस	कुकिंग कार्य हेतु

उक्त स्वीकृति का व्यय बजट मद 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ-115-अतिथि गृह सरकारी हॉस्टल (03) विश्राम भवन- 41 संविदाएँ (आयोजना भिन्न) एवं मद 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ-115-अतिथि गृह सरकारी हॉस्टल (02) एवं राजस्थान हाऊस, नई दिल्ली- 41 संविदाएँ (आयोजना भिन्न) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 से वहन किया जाएगा।

उक्त स्वीकृति वित्त (व्यय-2) विभाग द्वारा उनकी आई.डी. संख्या 101603477 दिनांक: 30.08.2016 पर प्रदान की गई सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

EO

(राजीव जैन)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग।
3. संबंधित जिला कलक्टर/कोषाधिकारी, राजस्थान।
4. संबंधित प्रबन्धक, विश्राम भवन, राजस्थान/राजस्थान हाऊस, नई दिल्ली उक्त सेवाएँ लिये जाने के उपरान्त इस विभाग को सूचित करावें।
5. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग।

शासन सहायक सचिव